उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी

पताः 803/B-1 ग्वालियर रोड, झाँसी (उ.प्र.)

सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
दिनांक 06.03.2026

अचल सम्पत्तियो के लिये सार्वजनिक नीलामी बिकी सूचना वित्तीय आस्तियो की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सरफेसी अधिनियम 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित नियमो, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसा कि उक्त कथित सरफेंसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मेडीकल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एक मागं सूचना जारी की जिसमें कर्जदारो और गारन्टीदाता(ओ)/बन्धककर्ता(ओ) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनो के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिये कहा या जैसाकि कर्जदारो और गारन्टीदाता(ओ)/बन्धककर्ता(ओ) ने राशि का भुगतान नही किया या और अतः अद्योहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमो के नियम 4 और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करतें हुये सम्पत्ति/सम्पत्तियो का कब्जा लें लिया है जैसा कि अद्योहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 4 , के तहत प्रदत्त अधिकारो के अनुपालन में कथित सम्पत्तियो की बिकी द्वारा बैंको के बकायो की वसूली का प्रस्ताव रखतें है। एतदद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदारो और गारन्टीदाता(ओ)/बन्धककर्ता(ओ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारो के पास बन्धक/प्रभारित पडी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पूर्ववर्ती प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक , प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया या है, जिसे निम्नांकित बकायो की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को जैसा है जहां है, जैसा है जो है और जो है वही है के आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं)/गारन्टीदाता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियो के लिये बोली/निविदाएं/कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओ को **06-03-2026** प्रातः 11: तक या उससे पहले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तो को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया जाता है। **निविदा 06-03-2026 को दोपहर 1-00 बजे खोली जायेगी।**

क्रम सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम	बन्धक सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति स्वामी का नाम व पता	मागं सूचना की तिथि / अधिग्रहण दिनांक/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (मागं नोटिस के अनुसार) रू0	आरक्षित धनराशि /अग्रिमधनराशि (ईएमडी) (रू0)
1.	**ऋणी व बन्धककर्ताः** श्री विशाल सिंह यादव पुत्र श्री मनोहर सिंह यादव **सहऋणी व बन्धककर्ताः** श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री विशाल सिंह यादव **निवासीगणः** म0न0 95/12/2 डा0 बीबी राय के सामने सिविल लाइन झांसी **शाखाः** मेडीकल	सम्पत्ति विवरण -अवासीय मकान न0 41/1ए बार्ड न0 32 नन्दनपुरा द्वितीय मौजा लहरगिर्द कुन्डपुठा झांसी जिला- झांसी नामें श्री विशाल सिंह यादव पुत्र श्री मनोहर सिंह यादव व श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री विशाल सिंह यादव सेल डीड दिनांक 19.12.2011 रजि0 न0 10290 बही सं 01 जिल्द न0 3526 पेज 229 से 256 एसआर झांसी क्षेत्रफल- 25X25 =625 वर्गफुट- 58.08 वर्गमीटर **चौहद्दी डीड के अनुसार:-** पूर्व- मकान यादव जी पच्िचम- रास्ता 30 फुट उत्तर- मकान श्रीमती राजकुमारी दक्षिण- मकान श्रीमती परवीन	23.08.2018 16.11.2018 सांकेतिक कब्जा	रू. 1089401.40 + ब्याज व अन्य व्यय	आरक्षित धनराशि रू. 945000.00 अग्रमि धनराशि (ईएमडी) रू. 94500.00
2.	**ऋणी (बन्धककर्ता):** श्रीमती उशा पत्नी श्री भगवानदास साहू **सहऋणीः** श्री भगवानदास साहू पुत्र श्री लक्खू साहू **निवासीगणः** म0न0 735, खुषीपुरा, शिक्षा भवन के पीछे झांसी **शाखाः** मेडीकल	सम्पत्ति विवरण - अवासीय मकान मौजा कोछाभांवर तह0 व जिला झांसी सेल डीड दिनांक 25.09.2012 रजि0 न0 6539 बही सं 01 जिल्द न0 5097 पेज 345 से 362 एसआर झांसी जिला- झांसी क्षेत्रफल- 94.80 वर्गमीटर या 1020 वर्गफुट **चौहद्दी डीड के अनुसारः** पूर्व- रास्ता 7.6 फुट पश्चिम- मकान मनोहर उत्तर- मकान सन्तोश दक्षिण- मकान दयाराम	02.01.2018 21.08.2018 सांकेतिक कब्जा	रू. 322661.00 + ब्याज व अन्य व्यय	आरक्षित धनराशि रू. 238000.00 अग्रमि धनराशि (ईएमडी) रू. 23800.00

बिकी के नियम एवं शर्तेः

1. इच्छुक बोलीदाताओ को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैन कार्ड व फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली कम सं0 एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए।
2. बोलीदाताओ को बोली के साथ अग्रमि में मऊरानीपुर में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा/संलग्न करना हो। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नही होनी चाहिये) को सफल बोली दाता के रूप में माना जायेगा। और शेष सफल बोलीदाताओ की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन /अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से विक्री की पुष्टि के 15 दिनो के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नही करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की यी रकम जब्त कर ली जायेगी।
4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/ निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिकी /नीलामी की तिथि बढाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारो/देनदारियो/भार/करो/सरकारी बकायो और अन्य पत्र्धा के दावो व बकायो के लिए जबाबदेह नही होगें।
6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नही जायेगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुतान स्वयं करना हो।
7. सफल नीलामी के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना हो।
8. बोली/विकी बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को जैसा है जहां है जैसा है जो कुछ है और वहा जो कुछ भी है आधार पर बेचा जा रहा है।
9. यह बोलीदाताओ की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियो के सम्बन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह 12-00 बजे से 4-00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकतें है।
10. यह बिकी नोटिस कर्जदारो/गारन्टीकर्ता/बन्धककर्ताओ के लिये विशेष रूप से जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है।
11. बकी के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारो की बेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि **http://www.upgb.bank.in** देखें।

उधारकर्ता/गारन्टीकर्ता/बन्धककर्ता को नियम 6(2)एवं 8(6) के सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिकी सूचना

-इसे नियम 62 एवं 8691 सिक्योरिटी इन्टरेस्ट इन्फोर्समेन्ट नियम 2002 के तहत बन्धककर्ता /गारन्टर को नोटिस समझा जाए, उनके वर्णित ऋण के सम्बन्ध में उपरोक्त दिनांक को नीलामी होगी।

कर्जदारो/गारन्टीकर्ताओ/कानूनी वारिसो/बन्धककर्ताओ को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुतान करें अगर वे ऐसा नही करतके है तो बन्धक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जायेगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारो एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाऐगा।

दिनांकः- 05.02.2026 | स्थानः- झाँसी | प्राधिकृत अधिकारी/उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक